No.1/8/2017-Coord.
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
******

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 27th November, 2017

To,

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
4. Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
5. Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member

Subject: Summary Record of discussions of 99th Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 10.11.2017 at 1600 Hrs.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 99th meeting of the National Commission for Scheduled Tribes was held on 10.11.2017 at 16:00 Hrs. in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by, Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

D S Kumbhare 27/11/2017
(D.S. Kumbhare)
Under Secretary

A copy of the Summary Record of discussions of 99th meeting of NCST is enclosed for taking necessary action on the decision taken in the meeting concerning to your Unit/Office. It is requested that action taken report may please be furnished to Coordination Cell by 15.12.2017 positively:

(i) Deputy Secretary (RU-I & II)
(ii) Under Secretary (Coordination, Estt.& RU-IV)
(iii) Assistant Director (RU-III & Admin)
(iv) Assistant Director (RU-I & II and OL)

D S Kumbhare 27/11/2017
(D.S. Kumbhare)
Under Secretary

Copy of Summary Record of discussion of 99th meeting is forwarded for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. PA to Hon'ble Member (Shri HKD), NCST
4. PS to Hon'ble Member (Shri HCV), NCST
5. PS to Hon'ble Member (Smt. MCI), NCST
6. Sr.PPS to Secretary, NCST
7. PA to Joint Secretary, NCST
8. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
9. NIC, NCST for uploading on the website.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 99वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

(फाईल सं. 1/8/2017–समन्वय)

दिनांक : 10.11.2017 समय : 4:00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षता : सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

प्रतिभागियों की सूची :

1. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
2. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, सदस्य
3. श्री राघव चंद्रा, सचिव
4. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
5. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
6. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
7. श्री आर.के दुबे सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

कार्य सूची मद सख्या. 1 **Agenda Item No. 1**	अनुसूचित जातियां उप–योजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के लिए निधियों के निर्धारण करने हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन हेतु प्रारूप रिपोर्ट Draft report on revision of guidelines for earmarking of funds for Scheduled Castes Sub-Plan (SCSP) and Tribal Sub-Plan (TSP)

(Meeting/1/NitiAayog/TSP/2017/RU-II)

सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रभाग, नीति आयोग ने मीटिंग नोटिस संख्या एम–11011/8/2017–एसजे एंड ई दिनांक 17.10.2017 द्वारा बताया कि नीति आयोग नियोजन–प्रणाली का विच्छेदन और 2017–18 से प्रभावी योजना तथा गैर–योजना व्यय को वलय को ध्यान में रखते हुए बदलती स्थिति में एससीएसपी और टीएसपी के लिए आवंटनों को निर्धारित करने के संबंध में एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने में इस समय व्यस्त है। पत्र के साथ अनुसूचित जातियां उप योजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के लिए निधियों के निर्धारण करने हेतु दिशा–निर्देशों में संशोधन हेतु प्रारूप रिपोर्ट प्रेषित की और सूचित किया कि Shri Ratan P. Watal, प्रमुख सलाहकार की अध्यक्षता में नीति आयोग में

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक 25.10.2017 को 11:00 (पूर्वाह्न) बजे एक मीटिंग आयोजित की जाएगी। मीटिंग में चर्चा करने के लिए अन्य मुद्दे विचारार्थ प्रस्तावित किए गए थे:–

(i) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां के लिए अप्रवर्तनीय तथा अव्यपगमनीय निधियां बचाने की संभाव्यता अथवा अन्यथा।

(ii) निधियों के आवंटन, सूत्रीकरण, कार्यान्वयन और अनुवीक्षण करने अथवा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अनन्य योजनाओं के संबंध में एक केंद्रीय कानून की संभाव्यता अथवा अन्यथा।

(iii) अन्य अति संवेदनशील समूहों के लिए निधियों का आवंटन।

1.2 नीति आयोग द्वारा दिनांक 25.10.2017 को आयोजित मीटिंग में दिये गये प्रस्तुतीकरण की एक प्रति संलग्न है। प्रमुख सलाहकार, नीति आयोग, जिन्होंने मीटिंग की अध्यक्षता की, ने सभी सहभागियों से शीघ्र टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया क्योंकि वर्ष 2018–19 के लिए बजटीय प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और रिपोर्ट को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है।

1.3 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए निधि निर्धारित करने के लिए नई व्यवस्थाएं वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रभावी करने के लिए, मुद्दा भारत सरकार के सक्रिय विचारण में है।

1.4 अनुसूचित जनजातियों के समावेशी विकास के लिए जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के अधीन बजट के आवंटन की परिकल्पना 5वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1974–75 के दौरान शुरू की गई थी। 43 वर्ष बीत गए तब से मंत्रालय/विभाग टीएसपी के अधीन अर्थात् विचारमूलक प्रणाली पर अनुसूचित क्षेत्रों में व्यय किए जाने के लिए उनके बजट की कुछ प्रतिशतता आवंटित कर रहे हैं। नीति आयोग का प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तावित करता है कि कुल योजना आवंटन का 8.26 प्रतिशत टीएसपी के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित किया जाए। अलग मंत्रालयों/विभागों को टीएसपी के अधीन उनके बजट से विशिष्ट परंतु निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

1.5 तथापि, टीएसपी के 43 वर्ष हो जाने के बावजूद, टीएसपी क्षेत्रों में सामान्य जनसंख्या के समान अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। टीएसपी कार्यान्वयन कार्यनीति की महत्वपूर्ण मूल्यांकन निम्नलिखित बातों को प्रकट करता है:–

(i) इतने वर्षों पश्चात् भी टीएसपी निधियों के निर्धारण की वर्तमान व्यवस्था से अनुसूचित जनजातियों का सामान्य जनसंख्या से आर्थिक–सामाजिक अन्तराल कम नहीं हुआ है।

कोई भी कार्यक्रम/योजना जिसमें अन्य वर्गों के साथ अनुसूचित जनजातियों को भी सह–लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाता है उसका समस्त लाभ अनुसूचित जनजातियों तक नहीं पहुंच पाता है, अतः इस प्रकार ऐसे कार्यक्रम/योजनाओं को टीएसपी नहीं माना जाना चाहिए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपसभापति/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

इसलिए केवल उन कार्यक्रमों/योजनाओं जिन्हें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए विशेष रूप से विकासोन्मुख अवस्था होती है, को ही टीएसपी माना जाना चाहिए।

(ii) वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत बहुत से मंत्रालय टीएसपी के अधीन व्यय करते हैं, परंतु उनकी प्राथमिकताएं अनुसूचित जनजातियों की नहीं होती। उदाहरण के लिए – जब मूल आवश्यकताए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि/खाद्य सुरक्षा, आवास तथा कौशल विकास अभी तक अनुसूचित जनजातियों के लोगों तक पूर्णतः नहीं पहुंची हैं, हवाई अड्डों, राजमार्गों, पर्यटन, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, शहरी विकास इत्यादि के लिए टीएसपी निधियों को व्यय करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि अगले पांच वर्षों तक प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से अनुक्रमित किया जाना चाहिए। वे सभी कार्यक्रम/योजनाएं अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास और कौशल उन्नयन जो केवल अनुसूचित जनजातियों के लिये स्पष्टतः लाभप्रद हो, उन्हें केवल टीएसपी के अन्तर्गत शामिल किए जाने के योग्य होना चाहिए, जो भारत सरकार के कुल बजटीय लागत का कम–से–कम 8.26 प्रतिशत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजातियों के लिए 8.26 प्रतिशत के ऊपर विशेष आर्थिक व्यवस्था कायम करनी चाहिए जिससे वे सामान्य वर्ग के बराबर शीघ्रता से पहुंच सकें।

(iii) NIFM (National Institute of Financial Management) की मदद से वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करवाई जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपसभापति/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्य सूची मद संख्या. 2	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर–माननीय बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के दिनांक 20.12.2012 के निर्णय के विरुद्ध अखिल भारतीय आदिवासी कर्मचारी संघ, नागपुर बनाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मामले में दाखिल 2013 की एसएलपी संख्या 9574 में माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 15.09.2017 का निर्णय
Agenda Item No. 2	Judgement dated 15.9.2017 of Hon'ble Apex Court in the SLP No. 9574 of 2013 filed by All India Adiwasi Employees Federation, Nagpur v/s DOPT against Judgement dated 20.12.2012 of Hon'ble High Court of Bombay, Nagpur Bench-appointment of candidates belonging to Halba Koshti/Halbi Koshti/Koshti caste against vacancies reserved for the Scheduled Tribes.

(HALBA/7/2017/STGMH/SEFCC/RU-IV)

अवर सचिव, (स्थापना (आरक्षण–I) अनुभाग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने का.ज्ञा. सं0 36012/12/2013–स्था.(आ.) दिनांक 25.10.2017 द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर माननीय बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के दिनांक 20.12.2012 के निर्णय के विरुद्ध अखिल भारतीय आदिवासी कर्मचारी संघ, नागपुर बनाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दर्ज 2013 की एसएलपी सं0 9574 में दिनांक 01.09.2017 और 15.01.2017 का उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतियां प्रेषित की और मामले में दिनांक 15.09.2017 के निर्णय की जांच करने तथा 03.11.2017 तक टिप्पणी देने का अनुरोध किया जिससे विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया जा सके।

2.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि–

(क) विभाग द्वारा "महाराष्ट्र सरकार बनाम मिलिंद एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय के कार्यान्वयन पर–अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति" के संबंध में दिनांक 10.08.2010 का का.ज्ञा0 सं0 36011/2/2010–स्था.(आ.) जारी किया था (अनुबंध–I)। कथित का.ज्ञा. में स्पष्ट किया गया कि हलबा कोष्टी/कोष्टी जाति के लोग, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अंतर्गत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन लोगों को जारी किये गये 'अनुसूचित जनजाति' प्रमाण–पत्रों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति मिली और उन सभी की नियुक्ति 28.11.2000 से पहले अथवा तक हुई थी, प्रभावित नहीं होंगे। तथापि, उन लोगों को 28.11.2000 के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.08.2010 के पूर्वोक्त का.ज्ञा. को माननीय बम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ में अखिल भारतीय आदिवासी कर्मचारी संघ, नागपुर द्वारा दर्ज रिट याचिका सं0 4283/2010 के साथ रिट याचिका सं0 5287/2011 में चुनौती दी गई। माननीय बम्बई

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.12.2012 के आदेश द्वारा पूर्वोक्त याचिका को खारिज कर दिया। माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अखिल भारतीय आदिवासी कर्मचारी संघ, नागपुर द्वारा 2013 की एसएलपी सं0 9574 दर्ज की गई।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी सं0 9574/2013 में दिनांक 01.09.2017 के आदेश जो पुनः प्रस्तुत किया गया है :—

> "क्योंकि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एफसीआई एवं अन्य बनाम जगदीश बलराम बहीरा एवं अन्य 2017 (7) स्केल 395 के मामले में 2015 की सिविल अपील सं0 8928 में इस न्यायालय के निर्णय के अर्थान्वयन का मुद्दा है, माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के आदेशों के अनुसार इस मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है।"
>
> "Since there is an issue of interpretation of judgement of this Court in Civil Appeal No. 8928 of 2015-Chairman and Managing Director FCI and Ors. Vs. Jagdish Balaram Bahira and Ors. 2017 (7) SCALE 395, list this matter before the appropriate Bench as per orders of Hon'ble the Chief Justice of India."

(घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी सं0 9574/2013 मे दिनांक 15.09.2017 के आदेश में निर्णय दिया, जो नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:—

> "इस मामले में विवाद, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एफसीआई एवं अन्य बनाम जगदीश बलराम बहीरा एवं अन्य (2017) के मामले में दिए गए निर्णय से आच्छादित हो गया। तद्नुसार, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अपास्त होता है और रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। परिणामस्वरूप अपील स्वीकृत मानी जाती है। लागतों के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"
>
> "The controversy in this matter is covered by the decision rendered in Chairman and Managing Director, FCI and Ors. Vs. Jagdish Balaram Bahira and Ors. (2017). Accordingly, the judgement passed by the Hon'ble High Court is set aside and writ Petition is allowed. Resultantly, the appeal stands allowed. There shall be no order as yo costs."

(ङ.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एफसीआई तथा अन्य बनाम जगदीश बलराम बहीरा तथा अन्य के मामले में दिनांक 06.07.2017 के निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी लोगों से, जिन्होंने एक लाभार्थी समूह से संबंधित होने के दावे के आधार पर लोक रोजगार के लाभ को मांगा जिसे जांचने पर अवैध पाया गया, से जुडे मामले के एक जत्थे का निपटारा किया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(च) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15.09.2017 के आदेश (अनुबंध–II) के द्वारा दिनांक 20.12.2012 को उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसके द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.08.2010 के का.ज्ञा. को सही ठहराया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के द्वारा मिलिंद मामले में संवैधानिक पीठ के निर्णय को उलट दिया है। यह हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उलझन है, जिन्हें कथित मिलिंद मामले के परिणाम में सुरक्षा स्वीकृत की गई थी और दिनांक 10.08.2010 के का.ज्ञा. में किए गए प्रावधानों की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी।

2.3. यह उल्लेख करना उचित है कि हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी समुदायों को महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजातियों के रूप में नहीं माना जाता है। हलबा, हलबी समुदायों को महाराष्ट्र राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.08.2010 के का.ज्ञा. पर आयोग की 48वीं (दिनांक 09.07.2013) 55वीं (दिनांक 04.07.2014), 59वीं (दिनांक 05.08.2014) तथा 75वीं (दिनांक 07.08.2015) बैठकों में चर्चा की गई थी। आयोग की 55वी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आगे की कार्रवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद की जाएगी।

क्योंकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15.09.2017 के अपने निर्णय में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के दिनांक 20.12.2012 के आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं0 36011/2/2010–स्था.(आ.) दिनांक 10.08.2010 को सही ठहराया गया था।

2.4 माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.09.2017 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए बैठक में विस्तृत चर्चा के उपरांत, यह निश्चित किया गया कि प्रकरण मे आयोग की निम्नलिखित टिप्पणियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी जाएँ:–

(i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं0 36011/2/2010–स्था.(आर.) दिनांक 10.08.2010 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।

(ii) हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी के रूप में घोषित लोगों का 28.11.2000 के पहले और बाद में की गयी ,सभी नियुक्तियां को अमान्य घोषित किया जाए तथा उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए।

(iii) हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी जनजाति के अधीन 28.11.2000 से पहले और बाद में किए गए सभी दाखिलों को अमान्य घोषित किया जाए तथा तत्काल प्रभाव से आरक्षण के लाभ को वापस ले लिया जाए।

(iv) भारत सरकार के सभी सचिवों, मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ–साथ मुख्य सचिव, राज्य सरकारों को एक महीने के अन्दर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजने को कहा जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपसभापति/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6/19

(v) हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी के लोगों द्वारा वर्तमान में कब्जा किए गए सभी पदों को अनारक्षित माना जाए तथा परिणामस्वरूप रिक्त पदों को विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के द्वारा भरा जाना चाहिए।

(In the light of judgement dated 15.09.2017 of the Hon'ble Apex Court, after detailed discussion in the Meeting on the matter, it was decided to send the following comments of the Commission to DOPT:-

(i) **The DoPT O.M. No. 36011/2/2010-Estt. (Res) dated 10.08.2010 be withdrawn with immediate effect.**

(ii) **All appointments made prior to 28.11.2000 and thereafter in respect of persons declaring as Halba Koshti/Halbi Koshti/Koshti be declared as null and void and their service be terminated.**

(iii) **All admissions made prior to 28.11.2000 and thereafter under Halba Koshti/Halbi Koshti/Koshti Tribe be declared as null and void and the benefit of reservation be withdrawn with immediate effect**

(iv) **All Secretaries to GoI in Ministries/Departments/Organizations as well as Chief Secretary, State Government(s) be asked to send an Action Taken Report to NCST within a period of one month.**

(v) **All posts currently occupied by persons from Halba Koshti/Halbi Koshti/ Koshti be treated as un-reserved category and consequent vacant posts should be filled up by ST candidate through Special Recruitment Drive.**

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपसभापति/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्य सूची मद सख्या. 3 **Agenda Item No. 3**	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र दौरे से उत्पन्न मुद्दे Issues arising from NCST Tours of Maharashtra and Madhya Pradesh.

(Review/Maha/2017/RU-IV and 16/4/Review/MP/2017/RU-III)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 11.09.2017 से 13.09.2017 तक महाराष्ट्र राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास/कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु दौरा किया। दौरा रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।

3.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 25.10.2017 से 28.10.2017 तक मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास/कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु दौरा किया। दौरा रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।

3.3 बैठक में आयोग द्वारा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य की दौरा रिपोर्टों की मुख्य अनुशंसाओं पर चर्चा की गई और स्वीकृत किया। चर्चा के दौरान आयोग ने जानना चाहा कि किस आदेश द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में निवासरत भारिया अनुसूचित जनजाति को विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कब घोषित किया गया। आयोग में सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः निश्चित किया गया कि इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय से आदेश/परिपत्र जिसके द्वारा मध्य प्रदेश में भारिया को विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) घोषित किया गया, की प्रति प्राप्त की जाए।

(Main recommendations of tour reports of the Commission for the States of Maharashtra and Madhya Pradesh were discussed and approved. During the discussion, Commission wanted to know as to by which order Bharia Scheduled Tribe of Madhya Pradesh was declared as "Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG)." The information was not available in the Commission. Therefore, it has been decided that a copy of the order/circular by which the Bharia was declared as PVTG in the State of Madhya Pradesh to be obtained from the Minsitry of Tribal Affairs.)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपसभापति/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतिरिक्त कार्य सूची

ADDITIONAL AGENDA ITEMS

कार्य सूची मद संख्या. 1	कन्ध कुम्भार समुदाय को ओड़िशा राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 31 पर कन्ध समुदाय के उपजाति के रूप में शामिल करने हेतु।
Agenda Item No. 1	Inclusion of "Kandha Kumbhar" (कन्ध कुम्भार/कंध कुम्भार) community as a sub set of 'Kandha" community at Sl. No. 31 in the Scheduled Tribes list of Odisha.

(संख्या 17/Inclusion/8/2017/RU-III)

अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र संख्या 12026/44/2013– सीएण्डएलएम दिनांक 02.11.2017 के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या 12026/44/2013– सीएण्डएलएम–1 दिनांक 15.07.2016 की प्रति संलग्न की जिसमें ओड़िशा राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम संख्या 31 पर "कन्ध" समुदाय के उप समुच्चय के रूप में "कन्ध कुम्भार/कंध कुम्भार" का समावेशन करने के लिए ओड़िशा सरकार के प्रस्ताव पर आरजीआई की टिप्पणियाँ भेजी थी, और मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियाँ भेजने का अनुरोध किया।

4.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या 12026/44/2013– सीएण्डएलएम–1 दिनांक 15.07.2016 तथा संलग्न आयोग में नही मिल पा रहे थे। अतः पत्र दिनांक 15.7.2016 की प्रति तथा संलग्न को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से दिनांक 07.11.2017 को अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र दिनांक 15.07.2016 एवं आरजीआई की सिफारिशों की एक प्रति उपलब्ध कराई।

4.3 सम्बन्धित राज्य/संघशासित प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची मे किसी भीं समुदाय का समावेशन/निष्कासन/संशोधन के प्रस्ताव पर जांच/परीक्षण किया जाता है। अतः उपरोक्त प्रकारण में जांच करने की आवश्यकता है।

4.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर आयोग ने विचार किया तथा यह पाया कि प्रस्ताव मे ओड़िशा राज्य की अनुसूचित जनजातियो की सूची मे समावेशन का मामला है। यह निर्णय लिया गया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय से ओड़िशा सरकार द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर भेजे गए प्रस्ताव की प्रति प्राप्त की जाए। तदोपरांत, कन्ध कुम्भार/कंध कुम्भार समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची मे समावेशन के लिए परीक्षण हेतु उस क्षेत्र मे जाकर वस्तु स्थिति पर रिपोर्ट आयोग के समक्ष टिप्पण के लिए रखी जाए।

(The proposal Ministry of Tribal Affairs was considered by the Commission and it was found that the proposal relates to the inclusion in list of Scheduled Tribes of Odisha State. It was decided that the proposal sent by Government of Odisha on the above matter be obtained from the Ministry of Tribal Affairs. Thereafter, Commission should visit that area to assess reality/facts to examine inclusion of "Kandha Kumbhar" in list of Scheduled Tribes and submit comments before the Commission.)

सुश्री अनुसूईया उइकेMiss Anusuiya Uikey
उपसभापति/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्य सूची मद सख्या. 2 **Agenda Item No. 2**	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि को राज्यो में स्थापित जनजातीय सलाहकार परिषद (टी.ए.सी) में शामिल करने हेतु प्रस्ताव Proposal to include a representative of NCST as a Member in Tribes Advisory Council (TAC) set up in the States.

(No. GS/12/2017STGAP/SEOTH/RU-IV)

संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग "ख" के पैरा 4 मे परिकल्पित निम्नवत है–

जनजाति सलाहकार परिषद् – (1). ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दें, तो किसी ऐसे राज्य में भी, जिसमें अनुसूचित जनजातिया हैं, किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजाति सलाहकार परिषद् स्थापित की जाएगी जो बीसे से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशक्य निकटतम तीन–चौथाई उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे:

परंतु यदि उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद् में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएँगे।

(2) जनजाति सलाहकार परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ।

(3) राज्यपाल नियम निर्धारित या विनियमित कर सकता, जैसा कि मामला हो:–

(क) परिषद् के सदस्यों की संख्या को, उनकी नियुक्ति की और परिषद् के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति को,

(ख) उसके अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया उसकी प्रक्रिया को, और

(ग) अन्य सभी अनुषंगिक विषयों को, यथास्थिति, विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपसभापति/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5.2 उक्त प्रावधानों के अनुसार टीएसी का गठन आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में किया गया है। यद्यपि तमिलनाडु, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है फिर भी उन्होंने भी टीएसी का गठन किया है।

5.3 संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) को, अन्य बातों के साथ–साथ, संविधान या तत्समय परिवर्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी अन्य आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध सेवा सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का मॉनीटर करने तथा ऐसे सेवा सुरक्षणों के कार्यकरण को मॉनीटर करने एवं मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

5.4 यह देखा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को राज्यों मे स्थापित टीएसी में सदस्य/विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल नहीं किया गया है। अतः प्रकरण पर आयोग ने विचार किया तथा यह अनुशंसा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के एक प्रतिनिधि को राज्यों मे स्थापित जनजातीय सलाहकार परिषद् (टीएसी) में एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। तथापि, टीएसी के पुनर्गठन तक, एनसीएसटी के प्रतिनिधि को टीएसी में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जाए।

(It has been observed that the NCST is not included as a Member/Special Invitee in the TAC established in the States. Therefore, Commission considered this issue and recommended that a representative of NCST be included as a Member in the TAC established in the States. However, till the TAC is reconstituted, the representative of the NCST may be invited as a Special Invitee to the TAC).

सुश्री अनुसूईया उइकेMiss Anusuya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्य सूची मद संख्या. 3	पदों में अनारक्षण हेतु नीति संबंधी दिशानिर्देश
Agenda Item No. 3	Policy guidelines for De-reservation of posts.

(No. De-reservation/3/2017/RU-III)

अवर सचिव, गृह मंत्रालय, (पुलिस–II डिवीजन) नई दिल्ली ने कार्यालय ज्ञापन संख्या **P.VII-10/2017-Pers.II dated 13.10.2017** द्वारा सीआरपीएफ मे सहायक कमांडेंट्स (राजभाषा) के तीन पदों (अनुसूचित जाति–2, अनुसूचित जनजाति–1) के डि–रिजर्वेशन के लिए एक प्रस्ताव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सहमति के लिए भेजा। सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट्स की संवर्ग क्षमता 15 है और पद आधारित रोस्टर के अनुसार सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी का वांछित प्रतिनिधित्व तथा उनका वास्तविक प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
वांछित	12	02	01	15
वास्तव में धारित	12	00	00	12

6.2 दिनांक 20.10.2015 के जीएसआर संख्या 796(ई) द्वारा अधिसूचित सहायक कमांडेंट्स (राजभाषा) के वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार सहायक कमांडेंट्स (राजभाषा) का पद समूह–क (राजपत्रित) चयन पद है और नियुक्ति का तरीका इस ग्रेड में कम से कम दो वर्षों की नियमित सेवा के साथ सूबेदार मेजर (एचटी) के पदों में से पदोन्नति द्वारा है। क्योंकि सहायक कमांडेंट्स (राजभाषा) का पद एक चयन पद है और आरक्षित श्रेणी से योग्य उम्मीदवारों द्वारा का चयन करने के लिए डीपीसी नियमों के अनुसार विचारण का विस्तारित जोन रिक्तियों के पांच गुना से अधिक नहीं हो सकता। विस्तारित विचारण जोन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की गैर उपलब्धता के कारण ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित रिक्तियों को रिक्ति वर्ष 2017–2018 के लिए सहायक कमांडेंट्स (राजभाषा) पद में भी नहीं भरे जा सके।

6.3 आने वाले वर्षों मे भी इन पदों को भरने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि सूबेदार मेजर (एचटी) के पद पर आने वाले वर्षों में भी केवल 02 अनुसूचित जाति उम्मीदवार उपलब्ध है जो केवल वर्ष 2019 और 2020 के दौरान सहायक कमांडेंट्स (राजभाषा) पद पर पदोन्नति के लिए योग्य हो पाएंगे और उस समय तक चार वर्तमान सहायक कमांडेंट्स (राजभाषा) सेवानिवृत्त होंगे। क्योंकि राजभाषा संवर्ग में प्रविष्टि ग्रेड, निरीक्षक (एचटी) का वर्दीधारी पद है और वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार उच्चतर ग्रेड मे नियुक्ति शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा होती है, सहायक कमांडेंट्स (राजभाषा) की रिक्तियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) को केंद्र सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर भरना संभव नहीं होगा।

6.4 ऊपर दिखाई गई स्थिति के आलोक में इस विभाग (सीआरपीएफ) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संपर्क अधिकारी ने उक्त प्रस्ताव से सहमति जताई है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6.5 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने वर्ष 2009–2010 की अपनी पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट में डि–रिजर्वेशन के मुद्दे को उठाया था और कुछ सिफारिशें की जिन पर सरकार से निर्णय की अपेक्षा थी। तथापि उन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को कोई सूचना नहीं दी गई। आयोग को कई मंत्रालयों एवं विभागों से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को सीधी भर्ती के साथ–साथ पदोन्नति द्वारा अनारक्षित करने के लिए कई प्रस्ताव मिल रहे हैं जबकि सीधी भर्ती में डि–रिजर्वेशन की अनुमति नहीं है, सरकार द्वारा निर्धारित कुछ खास परिस्थितियों के अधीन पदोन्नति के मामले में इसकी अनुमति दी जाती है। यदि पदोन्नति में डि–रिजर्वेशन की अनुमति दी जाती है तो कभी–कभी कई विभागों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें योग्य अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की उपलब्धता तक पदों को रिक्त रखना होता है जिसका परिणाम पद के समाप्त होने के रूप में भी होता है। भर्ती नियमों के संशोधन की प्रक्रिया भी लंबी एवं समय लगने वाली होती है जो वहां पर संभव नहीं है जहां भर्ती नियमों को हाल ही में संशोधित किया गया है।

6.6 प्रकरण पर विस्तृत चर्चा हुई, आयोग ने निम्न अनुशंसाए की:–

(क) अनुसूचित जनजाति के पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाए और जब तक कि योग्य अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते आरक्षित बिन्दु को शॉर्टफाल बैकलॉग रिक्ति के रूप में आगे ले जाया जाए।

या

(ख) अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है। यह विशेष भर्ती अभियान का सहारा लेकर किया जा सकता है।

(ग) अनुसूचित जनजाति के लोगो के लिए आरक्षित पद को अनारक्षित न किया जाए।

(The issue was discussed in detail and Commission recommends the following: -

(a) The post for Scheduled Tribes may be filled by deputation and the reserved points to be carried forward as shortfall/Backlog vacancy till such time the eligible ST becomes available for promotions.

Or

(b) The post reserved for ST may be filled by Direct Recruitment. This may be done by resorting to Special Recruitment Drive).

(c) No post identified for ST people should be de-reserved.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्य सूची मद सख्या. 4	सपोर्ट टु ट्राईबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट योजना के मूल्यांकन हेतु एस.एफ.सी. मेमोरन्डम
Agenda Item No. 4	SFC Memorandum for Appraisal of Scheme "Support to Tribal Research Institute" (TRIs).

(No. Meeting/1/2017/MOTA(SFC)/RI-II)

अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 11024/1/2017–पीए दिनांक 9.10.2017 द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11024/1/2017–पीए दिनांक 20.9.2017 तथा "जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) का समर्थन" स्कीम के अनुमानित खर्च के लिए एस एफ सी मेमोरन्डम की प्रति अग्रसारित की है तथा आयोग के विचार मांगे: –

(क) प्रस्तावित योजना की कुल लागत जो कि 265.00 करोड़ रुपये है।

(ख) योजना की प्रस्तावित अवधि अर्थात् दिनांक 01.04.2017 से लेकर 31.03.2020 तक तीन वर्ष।

निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए एस एफ सी का अनुमोदन मांगा गया है:–

(I) अतिरिक्त मापदंडों के साथ जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जनजातीय स्मारक योजना को जारी रखना अर्थात् 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए

(II) जहां तक आवश्यक हो, योजना के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत संचालनात्मक दिशानिर्देश जारी करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्राधिकृत करना।

7.2 एस एफ सी मेमोरन्डम की जांच की गई। मामले में जनजातीय कार्य मंत्रालय को निम्नलिखित टिप्पणियां भेजने के लिए प्रस्तावित किया गया: –

(1) चूंकि शोध और मूल्यांकन टीआरआई की मूल गतिविधियां है, केवल शोध और मूल्यांकन पर खर्च करने के लिए बजट की कम से कम 25 प्रतिशत राशि निर्धारित की जानी चाहिए।

(Since research and evaluation are the core activities of TRIs, at least 25% of the budget should be earmarked to be spent on research and evaluation activities only.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपसभा/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(2) प्रत्येक टीआरआई को वन अधिकार मामले, अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार, जनजातीयों की भूमि का विक्रय/हस्तांतरण, परियोजनाओं में जनजातीय लोगों का पुनर्वास इत्यादि जैसे विशेष मुद्दों पर राष्ट्र स्तरीय अध्ययन करने हेतु परामर्शक संस्थान के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

(Each TRI should be developed as referral institute to undertake national level studies on a particular theme such as forest rights issues, atrocities against STs, sale/alienation of of tribal land, re-location of tribal in the projects, etc.

(3) टीआरआई को सीधे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सिफारिश किए गए कुछ मुद्दों पर आवश्यक रूप से विशिष्ट शोध अथवा प्रभावी अध्ययन किया जाना चाहिए।

(TRI should necessarily undertake specific research or impact studies on certain issues as recommended by the National Commission for Scheduled Tribes directly to them).

7.3 प्रकरण तथा प्रस्तावित टिप्पणियो पर बैठक मे विस्तृत चर्चा की गई। आयोग ने उपरोक्त टिप्पणियां जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रसारित करने के लिए सहमति प्रदान की।

(The issue and proposed comments were discussed in detail in the meeting. Commission supports the above comments be forwarded to the Ministry of Tribal Affairs).

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपसभापति/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्य सूची मद सख्या. 5 **Agenda Item No. 5**	राउरकेला स्टील प्लॉट द्वारा स्थानीय विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा रोजगार हेतु। Rehabilitation and employment to Local Displaced Persons (LDPs) of Rourkela Steel Plant

(No. Rourkela Steel Plant/2016/RU-III)

उपरोक्त विषय पर दिनांक 20.06.2017 को माननीय अध्यक्ष, एनसीएसटी द्वारा इस्पात मंत्रालय, सेल, (Steel Authroity of India Ltd.) ओड़िशा राज्य सरकार, राउरकेला स्टील प्लॉट एवं जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक (सिंटिग) आयोजित की गयी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस्पात मंत्रालय, संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता मे एक समिति गठित करेगा और इस्पात संयंत्र द्वारा भूमि के अंतरण के मामले में और विस्थापित परिवार के लोगो/सदस्यों आदि को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस्पात मंत्रालय, ओडिशा राज्य सरकार, SAIL, राउरकेला स्टील प्लॉट तथा कलेक्टर, जिला–सुदंरगढ को अनुस्मारक पत्र दिनांक 28.08.2017 द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट भेजने को कहा गया। । तद्नुसार, इस्पात मंत्रालय ने पत्र संख्या 10 (33/2016)–SAIL-CIP दिनांक 10.10.2017 द्वारा आयोग को, उनके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। निष्कर्षों की प्रमुख बातें निम्नानुसार है–

क्र.सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
क	राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अवाप्त संपूर्ण भूमि का ब्यौरा प्राप्त करना;	आरएसपी, बस्ती एवं अनुषंगी तथा मंदिरा बांध परियोजना की स्थापना के लिए 1948 के अधिनियम के अनुसार ओडिशा सरकार द्वारा भूमि अवाप्त की गई थी जिसे वर्ष 1955 से 1976 के बीच पूर्ववर्ती एचएसएल को सुपुर्द की गई थी। ओडिशा सरकार द्वारा कुल 32128.435 एकड़ जमीन संयंत्र को सुपुर्द की गई थी। आरएसपी या पूर्ववर्ती एचएसएल ने उक्त कथित अधिनियम के अंतर्गत भूमि अवाप्त नहीं की है। तथापि 24.230 एकड़ जमीन सीधे तौर पर आरएसपी द्वारा खरीदी गई है। 01.06.1976 से प्रभावी होते हुए 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टा स्वीकृत करते हुए ओडिशा सरकार और सेल, राउरकेला इस्पात संयंत्र के बीच 01.07.1993 को भूमि अंतरण करार निष्पादित किया गया। जहां तक उर्वरक बस्ती बसाने और लावा दानेदार संयंत्र के लिए आरएसपी को जमीन सुपुर्दगी का संबंध है, आगे का भूखंडवार सत्यापन एवं हाल–सबिक सह–संबंध संयुक्त रूप से तहसीलदार, राउरकेला और आरएसपी के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
ख	राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) द्वारा बेची गई/	1948 का अधिनियम जिसके अधीन जमीन अवाप्त की गई और ओडिशा सरकार एवं सेल, आरएसपी के बीच निष्पादित जमीन पट्टा करार प्रावधान करता है कि निर्धारित उद्देश्य के लिए

सुश्री अनुसूईया उइके/Miss Anusuiya Uikey

16/19

	पट्टे पर ली गई/लौटाई गई जमीन का विवरण प्राप्त करना;	जमीन के समर्पण के लिए राज्य सरकार की आवश्यकता पर जमीन को राज्य सरकार को वापस सौंपा जा सकेगा। ओडिशा सरकार की मांग पर आरएसपी ने राज्य सरकार के अलग–अलग उद्देश्यों जैसे एसईआर मार्शलिंग अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित करने, विभिन्न आवास स्कीमों आदि के लिए राज्य सरकार की जरूरत पर 4514.62 एकड़ जमीन वापस सौंपी है। **जमीन जरूरी अनुमोदनों के साथ केवल राज्य सरकार को वापस सौंपी गई है। तथापि, चार परियोजनाओं के संबंध में क्षेत्रों में मेल नहीं है और तहसीलदार व आरएसपी के अधिकारियों द्वारा भूखंडवार सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।**
ग	आरएसपी से निजी संस्थानों को जमीन की बिक्री/पट्टा/वापसी के लिए अनुमोदनों का ब्यौरा प्राप्त करना;	आरएसपी से निजी संस्थानों को सीधे तौर पर कोई भी जमीन बेची/वापस नहीं की गई है। तथापि, बस्ती बसाने में कर्मचारियों एवं सामान्य नागरिकों के लिए आवासीय मकान विकसित किए गए थे और जमीन, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उप–पट्टे पर आवंटित की गई है और 1993 निष्पादित करार जमीन के उप–पट्टे का प्रावधान करता है।
घ	यह सुनिश्चित करना कि क्या आरएसपी द्वारा निजी संस्थानों को भूमि आवंटित करने से पहले केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुमोदन लिया था या नहीं;	विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों, पीएसयू, एनएसपीसीएल, सामाजिक सांस्कृतिक लोक–हितैशी, धार्मिक एवं निजी संस्थानों को उप–पट्टे के आधार पर कुल 648.557 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। 01.07.1993 से पहले स्वीकृत उप–पट्टों की राज्य सरकार द्वारा पुष्टि की गई है और उस तिथि के बाद स्वीकृत पट्टों के पुनर्नवीनीकरण, राज्य सरकार के अनुमोदन के साथ जमीन पट्टा करार के प्रावधानों के अनुसार समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।
ङ	भावी विस्तार के लिए भूमि अवाप्ति सहित कोर गतिविधियों के लिए सेल द्वारा जमीन की जरूरत पता लगाना;	राष्ट्रीय इस्पात नीति में अपनी वर्तमान क्षमता 4.2 एमटी से 7.2 एमटी तक तथा बाद में 10.2 एमटी तक विस्तार की आरएसपी की योजना है जिसमें संयंत्र के विस्तार एवं अतिरिक्त वृक्षारोपण सहित अन्य ढांचागत सुविधाओं की आवश्यकता है जिसके लिए आरएसपी को 5525 एकड़ जमीन की जरूरत है। तथापि, आरएसपी के पास इनके कब्जे में केवल 3849.90 एकड़ जमीन ही है जिसे भावी विस्तार के लिए निर्धारित किया गया है। **आरएसपी, अनधिकृत कब्जाधारियों के निष्कासन के लिए उपायों के साथ अतिक्रमण के अंतर्गत जमीन सहित उनकी कब्जे में बिना उपयोग की गई जमीन का विस्तृत सर्वेक्षण कराएगा।**
च.	विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं उनकी चिंताओं का निवारण करने के लिए सेल द्वारा किए गए प्रयासों का पता लगाना;	वर्ष 1986 में लोक उपक्रम ब्यूरो ने कई भूमि विस्थापितों के ताजा चयनों को समाप्त करते हुए संगठनों की सुरक्षा के लिए परियोजना में विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को नियुक्ति देने के प्रस्ताव के संबंध में औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी समझौते को वापस लेने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए। भूमि विस्थापितों के आंदोलनों के कारण आरएसपी एवं स्थानीय प्रशासन ने 1098 परिवारों की पहचान की जिन्हें रोजगार प्रदान नहीं किया गया था। यह मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक समीक्षा के लिए आया जिसने, अन्य बातों को

17/19

		साथ–साथ, निर्णय दिया कि राज्य की यह सुनिश्चित करने की बाध्यता कि किसी भी नागरिक को उसकी आजीविका से वंचित नहीं किया जा सकता, इस विस्तार तक नहीं जाती कि भूमि की अवाप्ति के परिणामस्वरूप विस्थापित प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवा जाए। तथापि, न्यायालय ने आरएसपी को 1993 में करार की गई स्कीमों की शर्तों में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने की अनुमति दी। तदनुसार, आरएसपी ने 794 परिवारों को रोजगार दिया जिनमें से 106 प्रशिक्षणाधीन है। आज की तारीख में 4094 विस्थापित परिवारों में से 6846 विस्थापित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। **तथापि, सभी 6846 विस्थापित लोगों के संबंध में जिला प्रशासन के पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और आरएसपी तथा जिला प्रशासन द्वारा और सत्यापनों की आवश्यकता है। 1098 की सहमत सूची के अतिरिक्त विस्थापित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होगा और इसके प्रभाव सेल के संयंत्रों पर पड़ेंगे।**

8.2 उपरोक्त प्रकरण पर अनुस्मारक के बावजूद संबंधित मुद्दों पर ओड़िशा राज्य सरकार, SAIL, राउरकेला स्टील प्लॉट एवं जिला प्रशासन से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मामले में आगे की कार्रवाई का निर्धारण करने हेतु आयोग के सामने रखा गया।

8.3 यह निर्णय लिया गया कि आयोग मे बैठक आयोजित कि जानी चाहिए, जिसमे सचिव, इस्पात मत्रांलय तथा अध्यक्ष, **(SAIL)** को चर्चा तथा अपनी जाँच परिणाम को समझाने तथा विस्थापित अनुसूचित जनजाति के लोगो के लिए लाभकारी समाधान खोजने के लिए आमंत्रित किया जाए।

(It was decided that a meeting should be held in the Commission, where the Secretary, Ministry of Steel and Chairman, Steel Authority of India Ltd. (SAIL) should be invited for discussion and to explain their findings and to find a solution beneficial to the uprooted ST people).

सुश्री अनुसुईया उइकेMiss Anusuiya Uikey
उपसभापति/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद Any other items with permission of the Chair.

वर्तमान में आयोग में माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष तथा माननीय सदस्य (तीनों सदस्य) अपने अपने पदों पर आसीन हैं। इन पदों से सम्बन्धित सभी वैयक्तिक स्टाफ भी कार्यरत हैं। आयोग में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप बैठने के लिए उपयुक्त स्थान का अभाव है, इस विषय पर बैठक में चर्चा हुई।

9.2 बैठक में निर्णय लिया गया कि लोक नायक भवन के अंदर या आस–पास किसी बिल्डिंग में तीन हजार वर्ग फुट स्थान उपलब्ध है का सर्वे किया जाए।

(In the meeting, it was decided that a survey be conducted for availability of three thousand square feet space in the Lok Nayak Bhawan or near by buildings).

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
नई दिल्ली

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

NITI Aayog
(National Institution for Transforming India)
Government of India

Draft Report on New Arrangements for Earmarking of Funds for SCs and STs

1

SCSP and TSP: Background

- TSP was introduced in 5th Five Year Plan 1974-75
- Special Component Plan (SCP) for SCs (SCSP) was introduced in 1979
- Modalities/instructions issued from time to time
- Compendium of Guidelines/Instructions were issued first in 2006
- Task force (TF) Guidelines in 2010
- Additional Guidelines to Central Ministries/Departments in Feb 2014
- Revised Guidelines to States issued in June 2014, and reiterated in April 2015

Union Budget and SCSP and TSP

- Till 2016-17, allocations shown in Statement-21 for SCSP and TSP.
- From 2011-12 to 2016-17, allocations for SCSP and TSP shown in Statement-21 and 21A respectively.
- 2017-18, allocations shown in Statement-20A and 10 respectively.
- In 2017-18, SCSP is named as 'Allocation for welfare of SCs' and TSP named as 'Allocation for welfare of STs'.
- Nodal Ministries i.e. M/o SJ and M/o Tribal Affairs are now responsible for monitoring of SCSP and TSP respectively.

Main Features of Task Force Guidelines

- Differential earmarking under SCSP and TSP by the Central Ministries/Departments.
- 26 & 32 Ministries/Departments obligated for implementation of SCSP and TSP respectively.
- Average percentage of earmarking recommended works out to 14.10% for SCs and 8.26% for STs against SC population of 16.63% and STs of 8.61% in the country (2011 Census).
- Earmarking recommended was from the Plan Allocation and not from the Non-Plan / total budget of identified Ministries/Departments.

Issues to be addressed in Post Planning Stage

- Whether for allocation and monitoring strategy under the Sub-Plans shall continue as per existing guidelines or look for a new arrangement.
- Decision is also required for [illegible] Ministries / Departments identified as Non Obligatory.

Important references regarding SCSP and TSP

- Decision of PMO on 11.11.2016: Contours for implementation of the Sub-Plans will continue.
- Ministry of Finance's reference: NITI Aayog to review Ministry/Department wise, existing arrangement of SC/ST allocation and updated keeping in view the changes.
- Other References: - National Commission for SCs & STs, MPs, Parliamentary Questions, Stakeholders regarding allocation and future of Sub Plans.

25-10

Steps taken by NITI Aayog

- Discussed in meeting of Senior Management Committee (SMC)
- Referred to Principal Adviser for Advice
- Consultations held on SAMAVESH Platform
- Consultation with Central Ministries/Departments

New Arrangements Proposed

1. Identification of Ministries for Earmarking Funds:

i. The Sub Plan strategy is to continue as the constitutional obligation (Article 46: State to promote educational and economic interest of SCs/STs, etc.).

ii. Task Force (2010) Guidelines may form basis for earmarking.

iii. Earmarking should be scheme wise not against the total budget of the concerned Ministry / Department.

iv. Percentage of earmarking should not be less than 50% of the population proportion or as decided by the Task Force, whichever is higher.

New Arrangements Proposed

I. Identification of Ministries for Earmarking Funds

vi. Ministries/Departments which are already earmarking funds [illegible] proportion to the population of [illegible] should earmark in proportion to population [illegible]

vii. Ministries/Departments implementing beneficiary oriented schemes [illegible] in proportion to their population.

New Arrangements Proposed

ix. [illegible]

x. [illegible]

xi. [illegible]

Department of [illegible] | Department of [illegible]
Ministry of Food Processing Industries | Department of [illegible]
Ministry of [illegible] | Ministry of [illegible]

Recommendations of revised Guidelines

IV. Monitoring and Evaluation

xvi. Regular Monitoring and evaluation of output and outcome of the schemes under sub plans through [illegible]

V. National Level Research Institute for SC and ST development

xviii. A National level [illegible] on the pattern of National Institute for Rural Development should be set up to work as Think tank for SCs and STs

Allocation for SCSP and TSP: Union Budget 2017-18

- Union Budget 2017-18 has a higher allocation for SCs and STs compared to the earlier Budgets.

Year	SCSP (Identified Ministries)			TSP (Identified Ministries)		
	Plan Allocation	SCSP Allocation	%age SCSP	Plan Allocation	TSP Allocation	%age TSP
2013-14 (A)	225583	34722	15.39	252401	22039	8.73
2014-15 (A)	221066	30635	13.91	232275	19507	[illegible]
2015-16 (A)	232629	38604	15.22	267530	22207	10.22
2016-17 (RE)	292265	38833	13.24	353640	24005	[illegible]
2016-17 (BE)	356907	40920	11.52	457265	25602	5.35
			2017-18(BE)*			
Allocation for CS+CSS of identified Ministries**	340278	52378	15.39	560439	30962	5.52

**Plan + Non-Plan allocation does not include that of UTs.

Comparative Picture as per Recommendations

Category	2016-17 Allocation as per Existing arrangements	2017-18 Allocation as per Existing arrangements*	Allocation as per new arrangement	% increase as compared to 2016-17
SCSP Allocation	[illegible] crore ([illegible]%)	[illegible] crore ([illegible]%)	[illegible] crore ([illegible]%)	[illegible]%
TSP	24005 crore (6.8%)	30962 crore (5.57%)	59137.82 crore (8.62%)	146.35%

*Figure includes Plan plus Non-Plan

Detailed Table is : SCSP and TSP detailed worksheet.docx

NITI Aayog's Role

NITI Aayog, in consultation with the Nodal Ministry, to periodically review [illegible] and evaluate performance of schemes [illegible] and [illegible]

Thank You

View of Central Ministries/Departments

S.No.	Ministries/Departments	Reply
1	Ministries: AYUSH, WCD and [illegible]	Earmarking as per TF Guidelines
2	**Ministries (10)**: I&B, CAP Division (CSO), Railways, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Chemical and Fertilizers, Culture, Communication, Shipping, Earth Sciences, Steel **Departments (8)**: Bio-technology, Space, DIPP, DoT Pharmaceuticals, Post, Atomic Energy, Heavy Industries and Public Enterprises	No separate allocation has been done under SCSP and TSP
3	Ministry of Coal	Earmarking for TSP but not for SCSP
4	Ministry of Road Transport and Highways	Earmarked less than prescribed % i.e. 1.14% instead of 1.5% for TSP. Nothing for SCSP

View of Central Ministries/Departments

S.No	Ministries/Departments	Reply
5	[illegible]	[illegible] prescribed percentage [illegible] SCSP and [illegible] TSP. Ministry will maintain allocation [illegible] in future.
6	Department of Commerce	Earmarking has been done under APEDA and Plantation sector schemes
7	Department of Rural Development	Earmarking has been done under PMAY-G and NRLM

Existing and Alternate status for SCSP (allocation)

S.No.	SCSP Ministry/Dept.	Existing	Proposed	TSP Ministry/Dept.	Existing	Proposed
	A. Obligated Ministries and Departments					
1	Agriculture & Cooperation	16.2	16.60	Agriculture & Cooperation	3	8.6
2	Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	16.2	16.60	M/o Agriculture Research and Education	1.6	4.3
3	[illegible]		30	M/o Steel	2	4.3
4	Commerce	4.5	8.30	M/o Coal	8.2	8.6
5	Development of N-E	[illegible]	[illegible]	D/o Telecommunication	0.27	4.3
6	Drinking Water Supply	22	22.00	D/o Food and Public Distribution	1.4	4.3
7	Information Technology	2	8.30	M/o Culture	2	4.3
8	Environment & Forest	2.2	8.30	M/o Drinking Water and Sanitation	10	10
9	Health and Family Welfare	15.7	16.50	M/o Electronics and Information Technology	6.7	6.7
10	Housing and Urban Poverty Alleviation	22.5	22.50	Health and Family Welfare	8.2	8.6
11	School Education & Literacy	20	20.00	Housing and Urban Poverty Alleviation	1.4	4.3
12	Higher Education	15	15.50	School Education & Literacy	10.7	10.7
13	Labour and Employment	14.2	14.60	Higher Education	7.5	8.6

25-10-2019

Existing and Alternate status for SCSP (allocation)

S.No.	SCSP Ministry/Department	Existing	Proposed	TSP Ministry/Department	Existing	Proposed
	A. Obligated Ministries and Departments					
14	Micro, Small and Medium Enterprises	[illegible]	16.60	Labour and Employment	8.2	8.6
15	New and Renewable Energy	8.3	8.30	Micro, Small and Medium Enterprises	8.2	8.6
16	Panchayati Raj	16.2	16.60	M/o Mines	8	8.3
17	M/o Power	8.3	16.60	Panchayati Raj	8.2	8.6
18	Rural Development	25	25.00	M/o Road Transport and Highways	3.5	4.3
19	Land Resources	16.2	16.60	Rural Development	17.5	17.5
20	Science & Technology	[illegible]	[illegible]	Land Resources	10	10
21	D/o Social Justice and Empowerment	72.5	72.50	Science & Technology	2.5	4.3
22	Textiles	[illegible]	16.60	Textiles	8.2	8.6
23	Woman and Child Development	20	20.00	M/o Tourism	2.5	4.3
24	Youth Affairs and Sports	16.2	16.60	M/o Tribal Affairs	100	100
				M/o WR, RD and GR	0.73	8.6
				Women and Child Development	8.2	8.6
				Youth Affairs and Sports	8.2	8.6

Existing and Alternate status for SCSP (allocation)

S.No.	SCSP Ministry/Department	Existing	Proposed	TSP Ministry/Department	Existing	Proposed
	B. Not Obligated but [illegible]					
25	D/o Empowerment of persons with Disabilities	[illegible]	16.60	Development of North East Region	0	8.60
26	Skill Development and Entrepreneurship	0	16.60	Environment & Forest	0	8.60
				New and Renewable Energy	0	8.60
				Skill Development and Entrepreneurship	0	8.60
				D/o Empowerment of persons with Disabilities	0	8.60
	C. New Ministries/Departments which should earmark for TSP					
27	D/o Fertilizers	0	8.30	D/o Fertilizers	0	4.30
28	D/o Pharmaceuticals	0	8.30	D/o Pharmaceuticals	0	4.30
29	D/o Consumer Affairs	0	8.30	D/o Consumer Affairs	0	4.30
30	M/o Food Processing Industries	0	16.60	M/o Food Processing Industries	0	8.60
31	M/o Petroleum and Natural gas	0	8.30	M/o Petroleum and Natural gas	0	4.30
32	M/o urban Development	0	8.30	M/o urban Development	0	8.60

No. 36011/2/2010-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

***

New Delhi, dated the 10th August, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Appointment of candidates belonging to Halba Koshti /Halbi Koshti/Koshti caste against vacancies reserved for the Scheduled Tribes – Implementation of judgement of the Supreme Court in the case of State of Maharashtra Vs. Milind and Ors.

***

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42011/22/2006-Estt.(Res.) dated 29th March, 2007 wherein it was stated that admissions and appointments of candidates belonging to the Halba Koshti/Koshti caste who were party in the Civil Appeal No.2294 of 1986 [State of Maharashtra V/s Milind & Ors] and other similar cases in which the Court had given specific relief shall not be disturbed and that the cases other than those protected by the specific order of the Supreme Court shall be dealt with in accordance with the instructions contained in this Department's OM No.11012/7/91-Estt.A dated 19.5.1993.

2. The matter regarding the effect of the judgment of the Supreme Court in Milind's case has been considered by the Supreme Court in Civil Appeal No. 1547 of 2007 [Punjab National Bank & Anr Vs. Vilas, S/o Govindrao Bokade] and some other cases. The Supreme Court in these cases has observed that it had held in Milind's case that though the status of Scheduled Tribe could not be conferred on candidates belonging to Halba Koshti/ Koshti caste, protection had been provided in no uncertain terms to admissions and appointments that had become final. Thus the Supreme Court has held that such candidates belonging to Halba Koshti/Koshti caste whose appointment had become final on or before 28.11.2000, the date on which the Supreme Court had decided the Civil Appeal No.2294/1986 [State of Maharashtra V/s Milind & Ors], shall not be affected.

3. The matter has been examined in consultation with the Department of Legal Affairs and it has been decided that the persons belonging to the 'Halba Koshti/ Koshti' caste who got appointment against vacancies reserved for the Scheduled Tribes on the basis of Scheduled Tribe certificates, issued to them by

the competent authority, under the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 (as amended from time to time) relating to the State of Maharashtra and whose appointments had become final on or before 28.11.2000, shall not be affected. However, they shall not get any benefit of reservation after 28.11.2000.

4. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)
Director
Tel: 23092158

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. All Officers and Sections in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and all attached/subordinate offices of the Ministry.
3. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
4. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
5. Department of Public Enterprises, New Delhi.
6. Railway Board.
7. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
8. National Commission for SC & ST, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
9. National Commission for Backward Classes, Trikoot-I, Bhikaji-Cama-Place, R.K. Puram, New Delhi.
10. Ministry of Welfare, Shastri Bhavan, New Delhi.
11. NIC
12. Guard File 2010
13. Spare copies – 400.

9574/2013

Annexure IV

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO.13783 OF 2017
(Arising out of S.L.P. (C) No.9574 of 2013)

All India Adiwasi Employees Federation, Nagpur — Appellant(s)

Versus

Director, Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Govt. of India and Others — Respondent(s)

O R D E R

Leave granted.

Heard learned counsel for the parties.

The controversy in this matter is covered by the decision rendered in *Chairman and Managing Director FCI and Others* vs. *Jagdish Balaram Bahira and Others* (2017) 7 SCALE 395. Accordingly, the judgment passed by the High Court is set aside and the writ petition is allowed.

Resultantly, the appeal stands allowed. There shall be no order as to costs.

.....CJI.
[Dipak Misra]

.....J.
[A.M. Khanwilkar]

.....J.
[Dr. D.Y. Chandrachud]

New Delhi
September 15, 2017.

ITEM NO.5 COURT NO.1 SECTION IX

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No.9574/2013

(Arising out of impugned final judgment and order dated 20-12-2012 in WP No. 4283/2010 20-12-2012 in WP No. 4283/2011 passed by the High Court of Judicature at Bombay at Nagpur)

ALL INDIA ADIWASI EMPLOYEES FEDERATION Petitioner(s)

VERSUS

DIR.,DEPARTMENT OF PERSONNEL & ORS. Respondent(s)

Date : 15-09-2017 This petition was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE A.M. KHANWILKAR
HON'BLE DR. JUSTICE D.Y. CHANDRACHUD

For Petitioner(s) Mr. Ajay Mahithia, Adv.
Mr. Vikas Kulsange, Adv.
Ms. Anagha S. Desai, AOR
Mr. Akash Kakade, Adv.

For Respondent(s) Mr. Y.P. Andhayaru, Sr. Adv.
Ms. Binu Tamta, Adv.
Mr. Rajat Nair, Adv.
Mr. M.K. Maroria, Adv.
Mr. Kanu Agrawal, Adv.

Ms. S. Tuli, Adv.
Dr. Rajeev B. Majodkar, Adv.
Mr. S. R. Setia, AOR

Mr. Ravindra Keshavrao Adsure, AOR

Mr. Shreekant N. Terdal, AOR

Mr. Nishant Ramakantrao Katneshwarkar, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Leave granted.

The appeal stands allowed in terms of the signed order.

(Chetan Kumar)
Court Master

(Shakti Parkash Sharma)
Assistant Registrar

(Signed order is placed on the file)